न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2015

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती मेतीदेवी पत्नि श्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी वाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये उपतहसीलदार भावरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 19.07.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपतहसीलदार, भावरी द्वारा उनके मुकदमा संख्या 250/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2014 के विरूद्ध दिनांक 25.02.2015 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उपतहसीलदार, भावरी द्वारा ग्राम वाडा पटवार हल्का भारजा तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 147/8 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि अपीलांट का विवादित कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त व [illegible] खसरा परिवर्तनशील संवत 2049 वर्ष 1992–93 से निरन्तर आज तक है [illegible] भूमि पर गत 24 वर्षो से काबिज है एवं उसका आवासीय [illegible] इस भूमि पर बना हुआ है एवं विवादित भूमि पर निर्मित पुराने मकान [illegible] ने मरम्मत करवाई है [illegible] बिना किसी आदेश व कार्यवाई में ध्वस्त करने की प्रक्रिया अधिनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भ की जो गलत है। यह है कि अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 147 का एक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है परन्तु राजस्व नक्शे में कोई तरमीम नहीं है जिससे बिना तरमीम के अपीलाण्ट का खसरा संख्या 147/8 की भूमि पर अतिक्रमण करना मानना व निर्णय बेदखली व जुर्माना करना विधि विरूद्ध है। यह है कि धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई उसमें अपीलांट का मकान मौके पर बना होना दर्शाया है परन्तु मकान ध्वस्त करने हेतु पारित निर्णय दिनांक 13.11.2014 में मकान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह है कि दिनांक 20.02.2015 को नायब तहसीलदार भावरी एवं पटवारी हल्का भारजा द्वारा जेसीबी के जरिए अपीलांट के मकान को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया एवं मकान के विद्युत सम्बन्ध को नष्ट कर दिया है जिससे अपीलांट को अनावश्यक क्षति हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भंली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में बारानी तृतीय दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2071 मे अवैध निर्माण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का भारजा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा वाडा पटवार हल्का भारजा के खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

147/8 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय पर अपीलांट ने बिना छत का मकान व पक्का मकान बना रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलांट का विवादित भूमि पर संवत 2049 से अवैध कब्जा कर कच्चा मकान बना रखा है एवं अपीलांट द्वारा अतिक्रमण होना स्वयं स्वीकार किया गया है। उपरोक्त विवेचन से यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत कायम रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner